न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1987–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–7–2015 पारित द्वारा प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक, भू–अभिलेख, इंदौर, प्रकरण कमांक 2770/भू–अभि./निरी./2015

.....

1–प्रकाशचन्द्र पिता सदाशिवराव कानूनगो,

2–सुरेशचन्द्र पिता सदाशिवराव कानूनगो,

दोनों निवासीगण 159, सुदामा नगर, इंदौर म0प्र0

3–संजीव पिता कैलाश चन्द्र कानूनगो

निवासी 1227–डी, सुदामा नगर इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–सचिन कुमार पिता ओमप्रकाश अग्रवाल,

निवासी बृजधाम, अगवाल नगर इंदौर

2–अधीक्षक, भू–अभिलेख,

संकुल, कलेक्टर कार्यालय,

मोती तबेला, इंदौर म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री भारत भूषण शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/9/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक भू–अभिलेख, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा डिप्टी कलेक्टर, भू–अभिलेख जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम लसुडिया मोरी स्थित सर्वे कमांक 36/1/1/1 रकबा 0.240 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा बिना प्रकरण दर्ज किये उक्त आवेदन पत्र के आधार पर पत्र कमांक 2270/भू–अभि./निरी./2015 दिनांक 13–7–2015 से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु सीमांकन दल का गठन किया गया । सीमांकन दल द्वारा दिनांक 28–1–2016 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, इंदौर को प्रस्तुत किया गया । आवेदकगण द्वारा उपरोक्त पत्र कमांक 2770/भू–अभि/निरी/2015 दिनांक 13–7–2015 के पालन में की गई, उक्त कार्यवाही से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 7–9–2016 को आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को, निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को व अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ निगरानी मेमों में एवं आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) गठित सीमांकन दल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 36/1/1/1 रकबा 0.240 हेक्टेयर का कभी सीमांकन नहीं किया गया, अतः सीमांकन के आधार पर की जा रही कार्यवाही अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) दिनांक 17–7–2015 के पंचनामे में सीमांकन की कार्यवाही हेतु आगामी दिनांक की सूचना पृथक से दिये जाने का उल्लेख है, परन्तु आवेदकगण को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है ।

(3) सीमांकन दल द्वारा संहिता की धारा 129 का बिना पालन किये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) फील्डबुक व पंचनामे से स्पष्ट है कि पूरी सीमांकन कार्यवाही काल्पनिक की गई है, इसलिये भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) सीमांकन के संबंध में प्रस्तुत आपत्तियों पर भी बिना विचार किये सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) सीमांकन दल द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है, इसलिये सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) आवेदकगण द्वारा सर्वे कमांक 36/1/1/1 के सम्पूर्ण रकबे का विकय नहीं किया गया है और अनावेदक कमांक 1 की विकय पत्रों में दर्शाई गई चतुर्सीमाओं से सीमांकन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 18–1–2016 को सूचना पत्र जारी कर हितबद्ध पक्षकार श्री लक्ष्मी सर्विस स्टेशन, इंदौर विकास प्राधिकरण एवं सचिन कुमार पर तामील कराये गये है और दिनांक 28–1–2016 को सीमांकन दल द्वारा विधिवत् सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण की कोई भी भूमि अनावेदक कमांक 1 की भूमि से लगी हुई नहीं है और सीमांकन दल द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 14–7–15 को जारी सूचना पत्र से विधिवत् सूचना दी जाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन दल द्वारा विधिवत् प्रकिया अपनाई जाकर सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन दल द्वारा किये गये सीमांकन में कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिये आपत्ति के निराकरण का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा उनके स्वामित्व की समस्त भूमियों का विकय कर दिया गया है और केताओं का नामान्तरण हो गया है, इसलिये वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, इंदौर द्वारा बिना प्रकरण दर्ज किये सीमांकन दल का गठन कर सीमांकन कार्यवाही की गई है, जो कि विधिवत् कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन दल द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के सीमांकन में केवल लक्ष्मी सर्विस स्टेशन एवं इंदौर विकास प्राधिकरण को सूचना दी गई है, सभी समीपवर्ती कृषकों को सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि सन्नी रोड लाईन्स एवं गांधी रोड लाईन्स भी समीपवर्ती कृषक हैं । पंचनामें में पृथक से मार्जिन में दूसरी राइटिंग से यह उल्लेख किया गया है कि सन्नी रोड लाईन्स की ओर से व गांधी रोड लाईन्स की ओर से हस्ताक्षर करने से मना किया, परन्तु स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि सन्नी रोड लाईन्स एवं गांधी रोड लाईन्स की ओर से कौन उपस्थित हुआ और किसके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है, अतः इनकी उपस्थिति संदिग्ध है । यहॉ यह महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है कि जिन लक्ष्मी सर्विस स्टेशन एवं इंदौर विकास प्राधिकरण को सूचना दी गई है, उनका प्रश्नाधीन भूमियों पर अवैध कब्जा नहीं पाया गया है । इस प्रकार बिना हितबद्ध पड़ोसी कृषकों को सूचना दिये किया गया सीमांकन पूर्णतः अवैध एवं अन्यायपूर्ण होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इस संबंध में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि आवेदकगण द्वारा उनके स्वामित्व की भूमियों का विक्रय किया जाकर क्रेताओं के नामान्तरण हो गये है, इसलिये वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है । अतः उन्हें सीमांकन में सूचना देने का औचित्य नहीं है । कारण अनावेदक की ओर से जो दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें संलग्न विक्रय पत्रों से स्पष्ट है कि आवेदकगण एवं उनके परिवार के नाम सर्वे कमांक 36/1/1/1 रकबा 0.279 हेक्टेयर भूमि थी और अनावेदक कमांक 1 द्वारा संलग्न विक्रय पत्रों से सर्वे कमांक 36/1/1/1 का रकबा 0.240 हेक्टेयर क्रय किया गया है । शेष भूमि 0.039 हेक्टेयर भूमि के वर्तमान में भूमिस्वामी कौन है, यह

स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि आवेदकगण की ओर से यह आधार लिया जा रहा है कि उनके द्वारा सम्पूर्ण भूमि का विक्रय नहीं किया गया है और अनोवदक क्र.1 की भूमियों का विक्रय पत्रों में दर्शाये गये रकबे का विक्रय पत्रों में उल्लिखित चतुर्सीमाओं से सीमांकन किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से भी परिलक्षित होता है कि सर्वे कमांक 36/2/1 रकबा 0.300 हेक्टेयर पर नामान्तरण के संबंध में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–11–2012 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील लंबित है। उपरोक्त भूमि सर्वे नम्बर 36 का ही हिस्सा होने से इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह भूमि अनावेदक की भूमि से लगी है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि सीमांकन कार्यवाही दिनांक 28–01–2016 निरस्त की जाकर प्रकरण प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक भू–अभिलेख शाखा, इंदौर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सर्वप्रथम यह जॉच करें कि क्या सर्वे नम्बर 36/1/1/1 का सम्पूर्ण रकबा अनावेदक कमांक 1 द्वारा कय किया गया है ? यदि नही तो वर्तमान में शेष रकबे के भूमिस्वामी कौन है ? और क्या सर्वे नम्बर 36/2/1 अनावेदक कमांक 1 की प्रश्नाधीन भूमियों से लगा है अथवा नहीं? तत्पश्चात् सभी हितबद्ध व्यक्तियों सहित पड़ोसी कृषकों को विधिवत् सूचना दी जाकर, अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों में दर्शाये गये रकबे का सीमांकन विक्रय पत्रों में उल्लिखित चतुर्सीमाओं के अनुसार किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक भूं–अभिलेख शाखा, इंदौर द्वारा किया गया सीमांकन दिनांक 28–01–2016 निरस्त किया जाकर उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक भू–अभिलेख, इंदौर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर